म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन/उ.स.नि. 2014/379/643 भोपाल,दिनांक 04/04/2016

प्रति,

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

विषयः–म.प्र.कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 के संबंध मे।

संदर्भः–प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की नोटशीट कमांक 787 दिनांक 31.3.16

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा म.प्र.शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा तैयार की गई "म.प्र.कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016" की प्रति संलग्न कर मण्डी बोर्ड का अभिमत चाहा गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)

उपरोक्त के संबंध मे पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र कमांक/बी–6/नियमन/200 दिनांक 03.02.2016 से टीप/अभिमत प्रेषित किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति संलग्न संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

संदीप

229

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन,भोपाल.

कमांक–बी–6 / नियमन / 200 भोपाल,दिनांकः–03 / 02 / 2016

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल.

विषयः–म0प्र0 कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 पर विभागीय अभिमत बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक–25/PS/Agri/16 दिनांक 02.02.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कमांक–25/PS/Agri/16 दिनांक 02.02.2016 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा तैयार की गयी ''म0प्र0 कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016'' की प्रति संलग्न प्राप्त हुई है एवं यह निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि उपरोक्त पर मंडी बोर्ड के अभिमत से दिनांक 05.02.16 अपरान्ह तक अवगत कराया जाये।

निर्देशानुसार म.प्र. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसस्करण नीति, 2016 का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नीति में मंडी बोर्ड, म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 या मंडी समितियों से संबंधित कोई बिन्दु शामिल नहीं है। अतः उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रस्तुत नीति 2016 पर मंडी बोर्ड की टीप निरंक है।

यहां पर यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राज्य शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के द्वारा तैयार ''उद्योग संवर्धन नीति 2014'' के परिपालन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा प्रदेश में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को मंडी फीस से छूट दिये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 03.02.16 को जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत फल, फूल एवं सब्जी पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को भी अधिसूचना में उल्लेखित निबधनों एवं शर्तों के अनुसार मंडी फीस से छूट दिये जाने के प्रावधान हैं।

प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार
संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(ए.पी.एस. सोलंकी)
अपर संचालक 03/2/16
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

230

मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 25/PS/Agri/16 भोपाल, दिनांक 02 फरवरी, 2016

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल ।

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र 1887 दि 2/2/16
शाखा Add Dir (S)
नि.स. प्रबंध संचालक

विषयः– म.प्र. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 के संबंध में ।

म.प्र. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 की प्रति संलग्न है । ए के संबंध में विभागीय अभिमत दिनांक 05 फरवरी, 2016 को अपरान्ह 2:00 बजे तक प्रेषित करने व कष्ट करें । कृपया समय–सीमा का विशेष ध्यान रखने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

1956 02/2/16
शाखा नियम
अपर संचालक (एम.)

231

मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2016

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये निम्नानुसार विशिष्ट वित्तीय सहायताएं सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को उपलब्ध हो सकेगी :

2.1. **निवेश संवर्धन सहायता** : इकाई द्वारा विगत वर्ष में वेट और केन्द्रीय कर के रूप में जमा की गई राशि का शत प्रतिशत सेट आफ निवेश संवर्धन सहायता के रूप में इकाई को 10 वर्षो के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। निवेश संवर्धन सहायता की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये निवेश के 200 प्रतिशत राशि के बराबर होगी।

2.2 विद्युत खपत सहायता :–

कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग इकाईयों को रू. 1.00 प्रति विद्युत इकाई की दर से उपलब्ध कराई जायेगी। यह सहायता उत्पादन/व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी।

2.3 प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर प्रतिपूर्ति :–

आधुनिक गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये वर्तमान तथा नई इकाईयों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हेज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉईंट (एच.ए.सी.सी.पी.), गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस (जी.एम.पी.), आई.एस.ओ. 9000, अगमार्क, एफ.पी.ओ., गुड लेबोरेट्री प्रेक्टिस (जी.एल.पी.), टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टी.क्यू.एम.) आदि प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 5.00 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

2.4 शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिपूर्ति :–

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में शोध एवं विकास की गतिविधिओं को प्रोत्साहित करने के लिये पेटेण्ट प्राप्त करने पर प्रत्येक पेटेण्ट के लिये रू. 5.00 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

शासकीय शोध संस्थाओं से तकनीक प्राप्त करने पर ऐसे तकनीक हस्तांतरण का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5.00 लाख जो भी कम हो, की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.5 परिवहन पर प्रतिपूर्ति :–

निर्यात् को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायुयान एवं सड़क के माध्यम से इनलैंड कंटेनर डिपो/बंदरगाह तक नश्वर उत्पादों के उद्योगों को परिवहन पर व्यय की गई राशि के 30

प्रतिशत की दर से रू. 10.00 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सहायता प्रथम उत्पादन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

2.6 लागत पूंजी अनुदान

2.6.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ आधुनिकीकरण/ तकनीकी उन्नयन हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत लागत पूंजी अनुदान उपलब्ध होगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा राशि रू. 2.5 करोड़ होगी। बजट राशि की उपलब्धता होने पर इकाईयों को अनुदान राशि के वितरण हेतु निम्नानुसार वरीयता कम होगा :

2.6.1.1 **प्रथम वरीयता**–नश्वर उत्पादों जैसे उद्यानिकी उत्पाद, दुग्ध, तथा पशुपालन से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण की इकाईयों

2.6.1.2 **द्वितीय वरीयता** – खाने के लिये तैयार उत्पादो की प्रसंस्करण इकाईया।

2.6.1.3 **तृतीय वरीयता** – दालों के प्रसंस्करण की इकाईयों। धान प्रसंस्करण इकाईयों को (बालाघाट जिलें में धान के प्रसंस्करण इकाईयों को अनुदान सहायता नही दी जाएगी) तेल एवं अन्य।

लागत पूंजी अनुदान सहायता गेंहूं से आटा बनाने वाली इकाईयों को नही दी जाएगी।

2.6.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अप्रसंस्कृत योग्य जैविक उत्पाद के निपटान के लिये केप्टिव पावर जेनेरेशन हेतु प्लांट एन्ड मशीनरी की लागत पर 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सहायता की अधिकतम राशि रू 150 लाख होगी।

2.6.3 गैर उद्यानिकी उत्पादों यथा दुग्ध उत्पाद के लिये कोल्ड चेन, वेल्यू एडीशन एवं प्रिज़र्वेशन अधोसंरचनाओं एवं रिफर वेन हेतु योजना परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 10 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

2.6.4 प्रोत्साहनात्मक योजना :–

2.6.4.1खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिये जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से के राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं /सेमीनार के आयोजन पर आयोजक संस्था 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 3 लाख ग्रांट इन एड उपलब्ध कराई जाएगी।

2.6.4.2खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी संस्था को फेयर/एक्जीबिशन में लिये गये स्टाल के किराये तथा दो व्यक्तियों के लिये रेल माध्यम से आने–जाने के किराये की राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 3 लाख की सहायता साधिकार समिति के निर्णय उपरांत प्रदान की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैयर/एक्जीबिशन में भाग लेने वायुयान से यात्रा करने पर प्रतिभागी को एयर फेयर की

पात्रता होगी किन्तु सहायता की अधिकतम राशि रू 3.00 लाख से अधिक नही होगी।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 1.00 करोड की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्शन सेन्टर 1से 2 एकड़ के क्षेत्र में निर्मित होगा जिसमें तुलाई, सफाई, छंटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग, प्री कुलिंग, ड्राई वेयर हाउस आदि सुविधा स्थापित की जा सकेगी।

4. इस नीति के लागू होने के पूर्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ आधुनिकीकरण/ तकनीकी उन्नयन हेतु प्राप्त सहायता प्रकरणों में म.प्र. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के अनुसार सहायताएं देय होगी।

5. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक अधोसंरचनाओं की स्थापना पर निम्नानुसार सहायताएं देय होगी :

5.1 मेगा फूड पार्क की स्थापना :–

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा कियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी। यह अनुदान सहायता टाप–अप के रूप में देय होगी।

5.2 फूड पार्क की स्थापना :–

30 एकड़ भूमि पर फूड पार्क की स्थापना के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 5 करोड़ सहायता उपलब्ध करांई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी।

5.3 मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.4. पार्क के विकासेकर्ता द्वारा किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में फूड पार्क मकें विकसित भूमि अंतरण हेतु निष्पादित लिखत पर निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी :

क. उक्त भूमि की क्रय की लिखित पर प्रभार्य शुल्क का समायोजन अंतरित भू–भाग के अनुपात मे किया जाएगा, और

ख. यदि समायोजन पर कोई शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित नही हो , तो अंतरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पंचसौर रूपये होगा।

6. विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार – खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय समय पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाएगें।

(मगदली खलखो)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

235

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 फरवरी 2016—माघ 14, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. डी-15-08-2016-चौदह-3.—यतः, राज्य शासन ने यह विनिश्चय किया है कि प्रदेश की ''मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014'' एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत उपलब्ध संविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु ''वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014'' एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनदृओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत उपलब्ध संविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु ''मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2014'' के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी फीस से भुगतान में छूट प्रदान की जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) (अधिसूचना में इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज जो मध्यंप्रदेश राज्य में उत्पादित हो एवं राज्य की किसी मंडी क्षेत्र में क्रय की गई हो और जिसका उपयोग प्रसंस्करण के लिये अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जावेगा, को निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मण्डी फीस से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

(1) अधिसूचित कृषि उपज से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) क, के अधीन उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष दो, तीन, सात, आठ, दस में वर्णित उपज है.

(2) शर्त क्रमांक (1) के अध्यधीन, इस अधिसूचना अन्तर्गत केवल मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित एवं राज्य के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए जिन अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर विचार किया जायेगा वे निम्नानुसार हैं:—

2.1 – "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" के अंर्तगत "वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाई" से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसकी स्थापना हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औद्योगिक लायसेंस/आई.ई.एम या राज्य शासन से ई.एम अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं जिसमें न्यूनतम दस करोड़ रूपये का संयंत्र और मशीनरी में पूँजी निवेश किया गया हो तथा "मेगा खाद्य प्रसंस्करण इकाई" से अभिप्रेत है जिसमें न्यूनतम पच्चीस करोड़ रूपये का संयंत्र और मशीनरी में पूँजी निवेश किया गया हो ।

2.2 " मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014" के अंर्तगत " खाद्य प्रसंस्करण इकाई" से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसकी स्थापना हेतु राज्य शासन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत विनिर्माण (manufacturing) उद्यम हेतु ई.एम. पार्ट–2 जमा कर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं जिसमें न्यूनतम पचास लाख रूपये का संयंत्र और मशीनरी में पूँजी निवेश किया गया हो।

2.3 – विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली "वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाई " या " खाद्य प्रसंस्करण इकाई" मंडी फ़ीस से छूट के लिये अपात्र होंगी।

2.4– मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश कमॉक एफ–16–11/2014/बी–ग्यारह दिनॉक 02 मार्च 2015 से जारी "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" के परिशिष्ट–1, एवं "मध्यप्रदेश एम.एस. एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014" के परिशिष्ट–1, में वर्णित उद्योग, मंडी फीस से छूट के लिये अपात्र होंगे।

2.5– इस अधिसूचना की कंडिका 2.1 एवं 2.2 में वर्णित प्रसंस्करण इकाईयों को अधिसूचना में "खाद्य प्रसंस्करण इकाई" कहा गया है ।

(3) उपरोक्त उल्लेखानुसार अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान पर छूट केवल प्रसंस्करण/निर्माण/विनिर्माण में उपयोग में लायी मात्रा पर ही केवल संबंधित स्थापित संयंत्र (संस्था की अन्य इकाई/संयंत्र को नही) को प्राप्त होगी परन्तु

अन्य राज्य या देश में उत्पादित अधिसूचित कृषि जिन्स, वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में क्रय एवं विक्रय की गई या इस अधिसूचना में विहित निबंधनों एवं शर्तो के उल्लंघनों में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान पर छूट नहीं दी जायेगी और ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियमों के उपबंध मंडी फीस के उद्ग्रहण पर लागू होगें।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 31, 32 तथा 32–क के अधीन उपरोक्त वर्णित वृहद् खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को अधिसूचित कृषि उपज के लिये मण्डी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा यह आवश्यक होगा कि राज्य के भीतर के या राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में क्रय की गई अधिसूचित कृषि–उपज के संबध में आयकर/वाणिज्यिक विभाग को नियत कालिक विवरणी, संदर्भित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में किया गया स्थायी पूँजी निवेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य समस्त ब्यौरे समय–समय पर यथा निर्देशित मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगी।

(5) मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह शर्त कमांक (4) के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज के उपयोग से उत्पादन की दैनिक और वार्षिक क्षमता, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज की कच्ची सामग्री और मात्रा की आवश्यकता की पुष्टि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग या मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

(6) यह छूट ऐसी अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर लागू नहीं होगी जो शर्त कमांक (5) में यथा–उल्लेखित उत्पादन की प्रामाणिक क्षमता और उसके लिये कच्ची सामग्री तथा अधिसूचित कृषि उपज की उपयोग में लाई जाने वाली मात्रा, की जानकारी प्रस्तुत करने में तथा प्रसंस्करण करने में असफल रही है।

(7) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिये स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई को मण्डी फीस से छूट उनके द्वारा किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम पचास प्रतिशत रकम के समतुल्य या प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा मंडी फीस से छूट प्रदान करने हेतु जारी आदेश की दिनॉक से पॉच वर्ष (इसमे से जो भी कम और पहले हो) तक की सीमा तक प्राप्त होगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रदेश की जिस मण्डी के क्षेत्र में स्थापित है उस मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त मण्डी समितियो से प्राप्त माहवार छूट की जानकारी प्राप्त कर गणना करे तथा निबंधनों और शर्ता के पालन को सुनिश्चित करें।

(9) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में दिनॉक 01.10.2014 से 31.09.2019 तक स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को दिनॉक 01.10.2014 से इस अधिसूचना के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार प्रदेश में प्रभावशील "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" का या " मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014" का लाभ प्राप्त होगा ।

(10) ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिनके लिये उद्योग संर्वधन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत मंडी फीस से छूट के लिये पहले स्वीकृत प्रदान की गई है, या जिसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनॉक 01.10.2014 के पूर्व का है, उन्हे इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं होगी।

(11) मंडी अधिनियम, मंडी उपविधियों के उपबंधों तथा उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तो के उल्लंघन होने की दशा में स्थापित की गई अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उसे अधिसूचित कृषि उपज पर उपलब्ध कराई गई कुल मण्डी फीस से छूट की पांच गुना राशि की वसूली संबंधित मण्डी समितियों को शास्ति के रूप में देय होगी एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की अनुज्ञप्ति पॉच वर्षो के लिये निरस्त की जावेगी।

(12) ये अधिसूचना प्राभावशील होने की दिनॉक से मंडी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उद्योग संर्वधन नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति और या अन्यथा धान से बासमती चावल प्रसंस्करण के लिये खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को (परन्तु मंडी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन समरूप से सभी श्रेणी के मण्डी कृतकारियों पर लागू होने वाली उदाहणार्थ अधिसूचित कृषि उपज 'कपास' तथा आयतीत 'दलहन' पर को प्रदान मण्डी फीस से छूट, को छोडकर), विभाग के द्वारा प्रदान की गयी मंडी फीस से छूट की समस्त अधिसूचनायें एतद्वारा निरस्त की जाती हैं। परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी वृहद् खाद्य प्रसंस्करण इकाई को प्रदान की गई मंडी फीस से छूट, जहॉ तक मंडी अधिनियम एवं मंडी उपविधियों के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिसूचना के अंर्तगत जारी समझी जायेंगी जब तक

मंडी अधिनियम के अधीन किसी बात या किये गये किसी कार्य द्वारा अतिष्ठित न कर दी जायें ।

(13) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा यदि मंडी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन समरूप से सभी श्रेणी के मण्डी कृत्यकारियों पर लागू होने वाली मंडी फीस से छूट (जैसा कि कंडिका 12 में वर्णित हैं) का लाभ भी प्राप्त किया जाता है तो खाद्य प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा कुल प्राप्त मंडी फीस से छूट की गणना जैसा कि कंडिका 07 में उल्लेखित है में इसे शामिल कर, गणना की जावेगी।

(14) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पूर्वोक्त अवधारित निबंधनों के अनुसार, ऐसी इकाइयो को मण्डी फीस से छूट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जिसमें सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति के द्वारा "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन, योजना 2014" के परिशिष्ट–12 के अनुसार या सचिव, जिला स्तरीय सहायता समिति के द्वारा "मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014"के परिशिष्ट–09 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्रकरणवार परीक्षण करने के पश्चात् इस संबध में आवश्यक विनिश्चय करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.